श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110 016

क्रमांक.ला.ब.शा. / राज भाषा / 2017–18 / 1171 दिनांक 22.01.2018
09.02.18

कार्यालयीय –आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चत्तर शिक्षा विभाग के पत्र सं.13035–20 / 2017 रा.भा.ए एवं संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा दर्शाए बिन्दुओं पर प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1. धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात अनिवार्यतः द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में साथ–साथ जारी किए जाएं ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस उपधारा के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, तथा अन्य रिपोर्ट नियम ,करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, संसद प्रश्न तथा संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री आदि को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किया जाए निविदाएं एवं भर्ती सूचनाएं हिन्दी में जारी की जाएं।

2. कार्यालय और समाचार एजेंसियों को परिपत्र और प्रेस विज्ञाप्तियां आदि हिन्दी में भेजी जाएं।
3. ट्विटर / फेसबुक पर भी सूचनाएं हिन्दी में साझा की जाएं।
4. वेबसाइट पर मंत्रालय से संबंधित सभी सूचना केवल हिन्दी में अपलोड की जाएं
5. हिंन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट में सही सूचना भिजवाई जाए।
6. समस्त विज्ञापनों में संस्था का नाम व पता हिंदी अंग्रेजी में छपवाया जाय।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा०)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रकाशन विभाग
8. कुलपति / कुलसचिव / वित्ताधिकारी के निजी सचिव

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा०)